आरटीआई विषय
समयबद्ध

सं. ए–43011/100/2018–आरटीआई
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
....

पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003
तारीख: 18 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सुश्री हुस्न बानो, ग्राम–सामाचक, पोस्ट–हरौली, जिला–वैशाली, बिहार–844103 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई सूचना ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 6(3) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी को आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना से संबंधित आवेदन/प्रतिवेदन दिनांक 26.12.2018 (जो इस विभाग के आरटीआई सेल में 15.01.2019 को प्राप्त हुआ) की एक प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निर्देश हुआ हैं। प्रार्थी बीपीएल श्रेणी का हैं।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (4) एवं 5 में निहित अनुदेशों के तहत संबधित जन सूचना अधिकारी/सार्वजनिक प्राधिकरण आवेदक को निर्धारित समय के भीतर माँगी गई सूचना देने के लिए उत्तरदायी हैं।

3. सूचना भेजते/प्रदान करते/प्रेषित करते समय आवेदक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता भी सूचित करें, ताकि आवेदक सूचना से असंतुष्ट होने पर अपील कर सके।

अ.कु.मंडल 18.01.2019
(ए के मण्डल)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 24365053

संलग्न यथोपरि प्रेषित :

1. श्री संजय सिंह, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
2. श्री अजीत कुमार साह, नोडल सीपीआईओ एवं अवर सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, 5 वीं मंजिल, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली– 110001।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयो/विभागो, आरटीआई सेल (संलग्न सूची के अनुसार), नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

सुश्री–हुस्न–बानो, ग्राम–सामाचक, पोस्ट–हरौली, जिला–वैशाली, बिहार–844103:– आपका आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2018 (जो इस विभाग के आरटीआई सेल में 15.01.2019 को प्राप्त हुआ) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत संबंधित सीपीआईओ/सार्वजनिक प्राधिकरणो को हस्तांतरित कर दिया गया है। आवेदक को इस मामले में आगे की सूचना के लिए उपर्युक्त सीपीआईओ/सार्वजनिक प्राधिकरणो से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है। प्रार्थी से अनुरोध हैं कि अपने बीपीएल कार्ड/बीपीएल प्रमाणपत्र की एक स्वयं सत्यापित प्रति इस कार्यालय को भेजें जिसमें कार्ड/बीपीएल प्रमाणपत्र की तारीख उल्लिखित/दर्शाई गई है।

US(RTI) 23/1/19

US (Admn-2)
All Orgn. MoP

24/1/19

E2826491/2019/Admn 14 13:30 hrs
23/1/19

जन सूचना का अधिकार, अधि० वर्ष 2005 के तहत।

सेवा में,

दिनांक 26.12.18

जन सूचना अधिकारी
विकलांग सशक्तिकरण प्रभाग

महोदय,

—निवेदन पूर्वक कहना है की मुझे निम्न सूचना दिलायी जाये. यदि श्रीमान को सूचना का उत्तर न हो तो जिन जन सूचना अधिकारी के पास सूचना का उत्तर हो उनके पास 6(3) में स्थानांतरण कराकर मुझे सूचित कराया जाये एवं मुझे वेबसाइट न० न दिलायी जाये, सूचना निम्न है —

1, मुझे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों का, विभाग का आयोग, समिति, उपक्रम का जो नोडल प्र०अ० अर्थात लोक शिकायत प्र०अ० हैं, उनका क्रम अनुसार नाम, पद, पता, ईमेल, मोबाइल, हिन्दी लिपि में उत्तर दि. जाये, यदि कुछेक का उत्तर अध्यक्ष में न आवे तो भिन्न [illegible] पर उत्तर देवें। वेबसाइट न० न देवें।

2, मैं उचित सूचना शुल्क अपना B.P.L प्रमाण पत्र नत्थी करते हैं।

अनु०→ B.P.L. प्रमाण पत्र।
संलग्न में।

— अतः शीघ्र सूचित कराया जाये।

आपका,
हुस्न लाल
ग्राम :→ सामायक
पोस्ट :→ हरौली
जिला :→ वैशाली
844103
9973201947

15/01/19
RTI Section
Sh. Rishi
Pl put up

Not to PG Cell
14.1.19

6810/2019

प्रखण्ड कार्यालय, हाजीपुर।

BPL Proof
46

बी० पी० एल० प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है की, हुस्न बानो पति- मो० मोईम ग्राम - सामाचक पो०- हरौली, पंचायत - दौलतपुर चान्दी, प्रखण्ड- हाजीपुर जि०- वैशाली, को गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार की सूची मे नाम दर्ज है।

क्रमांक - [illegible]
पहचान संख्या - 68471

प्र० वि० पदा०
हाजीपुर।

हाजीपुर